No. 28019/1/2009-CA-II (Pt.III)
Government of India
Ministry of Coal

Shastri Bhavan, New Delhi
dated: 16th May, 2012

Subject : Revision of royalty rates on coal and lignite.

The undersigned is directed to enclose herewith a notification No. 349 (E) dated 10th May, 2012 on the above subject for uploading in the Ministry's website. at the earliest

Action may be taken accordingly on URGENT basis.

16/5/12
(Alice Kujur)
Under Secretary

Encl : As above

To,

Director (Technical),
NIC Cell,
Ministry of Coal,
Shastri Bahavan,
New Delhi.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 2012/वैशाख 20, 1934
No. 204] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2012/VAISAKHA 20, 1934

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2012

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, मदें 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"11. कोयला :

अ. पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उत्पादित कोयला।

(1) कोयले पर रॉयल्टी :

कोयले पर रॉयल्टी की दर करों, उपकरों तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में यथा प्रदर्शित कोयले के मूल्य पर यथामूल्य 14% (चौदह प्रतिशत) की दर से होगी ।

(2) लिग्नाइट पर रॉयल्टी :

लिग्नाइट पर रॉयल्टी की दर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा यथाअभिपुष्ट लिग्नाइट के अंतरण मूल्य पर यथामूल्य 6% (छः प्रतिशत) की दर से

होगी और अन्य उपभोक्ताओं को बेचे गए लिग्नाइट के लिए रॉयल्टी, करों, उपकरों और अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में यथाप्रदर्शित लिग्नाइट के मूल्य पर यथामूल्य 6% (छः प्रतिशत) की दर से होगी ।

(3) **कैप्टिव खानों से उत्पादित कोयला और लिग्नाइट पर रॉयल्टी :**

कैप्टिव खानों से उत्पादित कोयला और लिग्नाइट पर रॉयल्टी की गणना करने के लिए कोयला और लिग्नाइट के मूल्य से तात्पर्य उस कैप्टिव खान के निकटतम खानों के लिए कोयला अथवा लिग्नाइट के समान सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) के लिए कोल इंडिया लि0 /सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. / नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा यथा अधिसूचित आरओएम(रन आफ माइन) कोयला और लिग्नाइट का मूल पिटहेड मूल्य होगा ।

वशर्ते कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत आबंटित कोयला और लिग्नाइट ब्लाकों से उत्पादित कोयला और लिग्नाइट के लिए, संबंधित यथामूल्य रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर लागू होगा ।

(4) **उपकर उद्ग्रहण के विरूद्ध रॉयल्टी का समायोजनः**

पश्चिम बंगाल के अलावा जो राज्य कोयलाधारी भूमियों के लिए विशेष रूप से उपकर अथवा अन्य कर लगाते हैं उनके लिए अनुमेय रॉयल्टी का समायोजन स्थानीय उपकरों अथवा ऐसे करों से किया जाएगा ताकि समग्र राजस्व प्राप्ति को सीमित किया जा सके।

ब. **पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित कोयला :**

समूह	कोयले का प्रकार	कोयले पर रॉयल्टी प्रति टन रूपए में
समूह – I	इस्पात श्रेणी - I	केवल सात रू.प्रति टन
	इस्पात श्रेणी - II	
	वाशरी-I	
	सीधी आपूर्ति	
समूह – II	वाशरी-II	केवल छह रूपए और पचास पैसे प्रति टन
	वाशरी-III	
	सेमी कोकिंग ग्रेड I	
	सेमी कोकिंग ग्रेड II	
	6701 एवं उससे अधिक जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	6401-6700 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	6101-6400 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
समूह - III	वाशरी-IV	केवल पांच रूपए और पचास पैसे प्रति टन
	5801-6100 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	

	5501-5800 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	5201-5500 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
समूह – IV	4901-5200 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	केवल चार रूपए और तीस पैसे प्रति टन
	4601-4900 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	4301-4600 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
समूह –V	4001-4300 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	केवल दो रूपए और पचास पैसे प्रति टन
	3701-4000 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	3401-3700 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	3101-3400 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोकिंग कोयला	
	3100 के बराबर अथवा उससे कम जीसीवी वाला गैर-कोकिंग	

स्पष्टीकरण :-

1. कोयला के श्रेणीकरण के प्रयोजन से, कोयले की प्रत्येक श्रेणी का विनिर्देशन कोलियरी नियन्त्रण नियमावली, 2004 के नियम 3 के अधीन यथा निर्धारित होगा।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।"

[फा. सं. 28019/1/2009-सीए-II]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

द्वितीय अनुसूची में पहली बार दिनांक 05 मई, 1987 के जीएसआर सं.458(ई) के माध्यम से संशोधन किया गया था और अंतिम संशोधन दिनांक 24 जनवरी, 2012 के जी.एस.आर.46(ई) के माध्यम से किया गया ।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2012

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Second Schedule to the said Act, for item 11 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

"**11. COAL :**

A. **Coal produced in all the States and Union territories except the State of West Bengal.**

(1) **Royalty on Coal:**

The rate of royalty on coal shall be @ 14% (Fourteen percent.) ad-valorem on price of coal, as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges.

(2) **Royalty on Lignite:**

The rate of royalty on lignite shall be @ 6% (Six percent.) ad-valorem on transfer price of lignite, as ratified by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and for lignite sold to other consumers, the royalty shall be @ 6% (Six percent) ad-valorem on the price of lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges.

(3) **Royalty on coal and lignite produced from captive mines:**

For calculating royalty on coal and lignite produced from captive mines, the price of coal and lignite shall mean the basic pithead price of Run of Mine (ROM) coal and lignite, as notified by the Coal India Ltd./Singareni Collieries Company Ltd./Neyvely Lignite Corporation, for similar Gross Calorific Value (GCV) of coal or lignite for the mines, nearest to that captive mine;

Provided that for the coal and lignite produced from the coal and lignite blocks, allocated under the Government dispensation route for commercial use, the respective ad-valorem royalty shall be applicable on the price notified by the respective State Governments.

(4) **Adjustment of royalty against levying of cess:**

For the States other than West Bengal, for the levy of cess or other taxes specific to coal bearing lands, the royalty allowed shall be adjusted for the local cesses or such taxes, so as to limit the overall revenue yield.

B. Coal produced in the State of West Bengal:

Group	Quality of Coal	Royalty on coal in Rupees per tonne
Group–I	Steel Gr-I	Seven rupees only per tonne
	Steel Gr.II	
	Washery-I	
	Direct Feed	
Group–II	Washery-II	Six rupees and fifty paise only per tonne
	Washery-III	
	Semi Coking Gr.I	
	Semi Coking Gr.II	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6701 and above	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6401-6700	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6101-6400	
Group- III	Washery-IV	Five rupees and fifty paise only per tonne
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5801-6100	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5501-5800	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5201-5500	
Group– IV	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4901-5200	Four rupees and thirty paise only per tonne
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4601-4900	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4301-4600	
Group – V	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4001-4300	Two rupees and fifty paise only per tonne.
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3701-4000	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3401-3700	
	Non–Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3101-3400	
	Non–Coking Coal having GCV = < 3100	

Explanation:

1. For the purpose of grading of coal, the specification of each grade of the coal shall be as prescribed under rule 3 of the Colliery Control Rules, 2004.

2. The Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette."

[F. No. 28019/1/2009-CA.-II]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

The Second Schedule was first amended vide G.S.R. No. 458 (E) dated the 05th May, 1987 and last amended vide G.S.R. 46 (E), dated the 24th January, 2012.

1673 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.